

म्यांमार के वर्तमान मुद्दे

प्रलिस के लयः

[अंतरराष्ट्रीय नयायालय \(ICJ\)](#), [रोहगिया](#), [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) ।

मेन्स के लयः

भारत के पड़ोसियों से संबंधित मुद्दे, [इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन](#), [शरणार्थी संकट](#) ।

चर्चा में क्यों?

[अंतरराष्ट्रीय नयायालय \(International Court of Justice- ICJ\)](#) ने हाल ही में म्यांमार के जुंटा की उस अपील को खारजि कर दिया, जिसमें म्यांमार पर [इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन \(International Genocide Convention\)](#) का उल्लंघन करने के आरोप के मामले में प्रतवािद दायर करने हेतु 10 महीने की मोहलत की मांग की गई थी ।

- यह मामला [रखाइन राज्य](#) में वर्ष 2017 में 'कलीयरिंग' अभियान के दौरान म्यांमार सेना द्वारा कयि गए अत्याचारों से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप [रोहगिया](#) लोगों का वसिथापन हुआ ।

म्यांमार में अस्थरिता का कारणः

- **पृष्ठभूमिः** म्यांमार को वर्ष 1948 में ब्रिटिन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई । यह वर्ष 1962 से 2011 तक सशस्त्र बलों द्वारा शासित रहा, इसके बाद यहाँ एक नई सरकार ने नागरिक शासन की शुरुआत की ।
 - 2010 के दशक में सैन्य शासन ने देश में लोकतंत्र की स्थापना का फैसला कयिा । हालाँकि सशस्त्र बल शक्तिशाली बने रहे एवं राजनीतिक वरिधियों को मुक्त कर दिया गया, साथ ही चुनाव कराने की अनुमति दी गई ।
 - देश का पहला स्वतंत्र और नष्पक्ष चुनाव वर्ष 2015 में हुआ जिसमें कई दलों ने भाग लयिा, इस चुनाव में [नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी](#) ने जीत हासलि की और सरकार बनाई, साथ ही यह सुनिश्चित कयिा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित हो ।
- **सैन्य तख्तापलटः**
 - नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में NLD ने अधिकांश सीटें हासलि की ।
 - वर्ष 2008 के सैन्य-मसौदा संवधान के अनुसार म्यांमार की संसद में सेना के पास कुल सीटों का हसिसा 25% है और कई प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नयुक्तियों के लयि आरक्षणित हैं ।
 - जब नव नरिवाचति म्यांमार के सांसदों द्वारा वर्ष 2021 में संसद का पहला सत्र आयोजति कयिा जाना था, तब सेना ने संसदीय चुनावों में भारी मतदान धोखाधडी का हवाला देते हुए एक वर्ष के लयि आपातकाल लागू कर दिया था ।
- **संयुक्त राष्ट्र द्वारा चहिनति मुद्देः**
 - यद्यपि किसी भी प्रकार के संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा करना सेना के लयि कानूनी रूप से आवश्यक है,फरि भी अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन कयिा गया ।
 - म्यांमार की अस्थव्यवस्था काफ़ी बुरी स्थिति में है जसि कारण लगभग आधी आबादी अब [गरीबी रेखा](#) के नीचे रह रही है ।
 - तख्तापलट की प्रक्रयिा शुरु होने के बाद से सेना ने देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों और 16,000 से अधिक अन्य लोगों को हरिसत में लयिा है ।
- **रोहगिया मुद्दाः**
 - 25 अगस्त, 2017 को म्यांमार के [रखाइन राज्य](#) में हुई हसिा ने लाखों रोहगिया लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया ।
 - म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन से रोहगिया समुदाय में अब कोई संबंध नहीं रह गया है ।
 - वर्षों से म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को वभिनिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जसिमें [भाषण और सभा की स्वतंत्रता](#) पर प्रतिबंध, मनमाने ढंग से गरिफ्तारियों और नरिोध, सेंसरशपि और हसिा शामिल हैं ।
 - जनवरी 2020 में [संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत \(ICJ\)](#) ने म्यांमार को अपने रोहगिया समुदाय के सदस्यों को नरसंहार से बचाने के लयि उपाय करने का आदेश दिया ।



//

म्याँमार मुद्दे पर भारत का रुखः

- हाल के वर्षों में भारत ने म्याँमार में **मानवाधिकारों की स्थिति** पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से **रोहिंग्या संकट** के संबंध में।
 - भारत ने इस मुद्दे के शांतपूरण समाधान, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिये ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही का आह्वान किया है।
- यद्यपि भारत ने म्याँमार में हाल के घटनाक्रमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, लेकिन म्याँमार की सेना से दूरी बनाना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है क्योंकि म्याँमार और उसके पड़ोसियों से भारत के महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं रणनीतिक हित जुड़े हैं।
 - म्याँमार के मुद्दे पर भारत का रुख उसकी उभरती स्थिति और क्षेत्र में **भू-राजनीतिक गतिशीलता** के आधार पर विकसित हो सकता है।

नोटः ऐसी गतिविधियाँ जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से की जाती हैं, नरसंहार/जेनोसाइड कहलाती हैं और **वशिव सत्र पर इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है।**

इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशनः

- इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन, जिसे जेनोसाइड के अपराध की रोकथाम और सज़ा पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है, 9 दिसंबर, 1948 को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अपनाई गई एक संधि है।
 - जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार, जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध तथा शांति दोनों समय हो सकता है।
 - कन्वेंशन के लिये राज्यों को **घरेलू कानून बनाकर नरसंहार को रोकने और इसके लिये दंडित करने की आवश्यकता है।**
- कन्वेंशन में निर्धारित जेनोसाइड के अपराध की परभाषा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है, जिसमें वर्ष

1998 में अपनाई गई अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की रोम संविधि भी शामिल है।

- भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अंतर

	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ)	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC)
स्थापना	वर्ष 1945	वर्ष 2002
UN संबंध	संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय, जिसे आमतौर पर 'विश्व न्यायालय' के रूप में जाना जाता है।	स्वतंत्र रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से केस रेफरल प्राप्त कर सकता है।
मुख्यालय	हेग (नीदरलैंड्स)	हेग (नीदरलैंड्स)
मामलों के प्रकार	यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।	व्यक्तियों का आपराधिक मुकदमा
विषय-वस्तु	संप्रभुता, सीमा और समुद्री जल विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, संधि उल्लंघन, संधि व्याख्या आदि	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नर-संहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच करता है।
वित्तपोषण	संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तपोषित	रोम संविधि के पक्षकारों द्वारा योगदान; संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वेच्छिक योगदान; विभिन्न देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों और निगमों द्वारा स्वेच्छिक योगदान

UPSC सविलि सेवा परीक्षा पछिले वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिन्लखिति युगमों पर वचिार कीजयि: (2016)

समाचारों में कभी-कभी उल्लखिति समुदाय

कसिके मामले में

1. कुरुद
2. मधेसी
3. रोहगिया

बांग्लादेश
नेपाल
म्याँमार

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. अवैध सीमा पार प्रवास भारत की सुरक्षा के लिये कैसे खतरा उत्पन्न करता है? इस तरह के प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कारकों को उजागर करते हुए इसे रोकने के लिये रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (2014)

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ongoing-issues-in-myanmar>

